न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 193/16(232/17)

वादी :–
1–बाबूदास उर्फ बाबूलाल गोद पुत्र भंवरदास
जाति साद निवासी देवगढ़ तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1–सुन्दरी पत्नि स्व.भंवरदास
2–रामदास पुत्र नारायणदास
3–गानदास पुत्र नारायणदास
4–गैनदास पुत्र नारायणदास
5–कैलाशदास पुत्र नारायणदाससस
सभी जातियान साद निवासीगण देवगढ़ तहसील रियांबड़ी
6–सीतादेवी पत्नि रामस्वरूप जाति अहीर निवासी बेगस तहसील झौटवाड़ा जयपुर
7–तहसीलदार रियांबड़ी
8– पटवारी हलका टेहला

दावा बाबत घोषणा,खातेदारी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक:–08.05.2018

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद प्रस्तुत है :–
1–यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा काननू से गर्वन होते है।
2–यह है कि ग्राम देवगढ़ की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 82 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 83 रकबा 08 बिस्वा,खसरा नंबर 84 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा,खसरा नंबर 85 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा,खसरा नंबर 85/1 रकबा 03 बिस्वा गै.मु.बेरा,खसरा नंबर 86 रकबा 04 बिस्वा गै.मु.बेरा,खसरा नंबर 87 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा,खसरा नंबर 88 रकबा 09 बीघा,खसरा नंबर 89 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा,खसरा नंबर 100 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा,खसरा नंबर 101 रकबा 69 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 108 बीघा 12 बिस्वा में सें 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीनी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरान की भूमि वाद में आगे विवादित खसरान के नाम से सम्बोधित की जावेगी। खतौनी नकल 2059–2062 साथ में पेश है।
3–यह है कि स्व.भंवरदास एंव प्रतिवादीनी संख्या 1 के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। जिससे प्रतिवादीनी संख्या 1 ने स्व.भंवरदास ने वादी को उसके जन्म से ही अपने पास रखना शुरू कर दिया तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 ने अपने पति स्व.भंवरदास के स्वर्गवास के बाद वादी को न्याति जाति रीति–रिवाज से गोद ले लिया तथा वादी के हक में दिनांक 21.12.1998 को गोदनामा तक्मील कर दिया गया। तथा गोदनामा पंजियन भी करवा दिया। इस प्रकार वादी स्व.भंवरदास एंव प्रतिवादी संख्या 1 का गोदपुत्र है। गोदनामा की फोटो प्रति संलग्न है।
4–यह है कि गोद लेने के दिन से ही वादी प्रतिवादीनी संख्या 1 व उनके पति स्व.भंवरदास की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर गोदपुत्र की हैसियत से काश्त काबिज हो गया। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से काश्त व कब्जा है।
5–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में स्व.भंवरदास जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रतिवादीनी संख्या 1 व वादी को उतराधिकार में प्राप्त हुई। जिससे उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है।

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प .....
रियां बड़ी

6–यह है कि वादग्रस्त खसरान वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 का प्रत्येक का 1/2–1/2 हक व हिस्सा सामलाती है तथा इसी अनुसार सहूलियत से काश्त व काबिज है। इसलिए वादग्रस्त खसरान में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीनी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जावें। तथा वादी का राजस्व रेकार्ड में अलग से नाम अमल दरामद कर खातेदारी दर्ज की जावें। जिस हेतू यह दावा पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जबाब हेतू तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पूर्व राजस्व लोक अदालत 2016 में पेश किया गया। तथा प्रतिवादी सख्या 3 व 5 ने ईक्बालिया जबाब भी पेश किया व प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने अपना राजीनामा राजस्व लोक अदालत 2017 में अपना राजीनामा पेश किया गया। जिसके आधार पर वाद में दिनांक 7.6.2017 को निर्णित किया गया। निर्णय दिनांक 7.6.2017 के विरूध तहसीलदार रियांबड़ी ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी का पेश कर पत्रावली को पुनः नंबर पर ली जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय करने का निवेदन किया । जिस पर पत्रावली पुनः नंबर पर ली गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प टेहला में पेश हुई। वादी मय वकील व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 7 भी उपस्थित। वादी के वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रैफरेंस खसरान को छोड़ते हुए बकाया में वादी के नाम खातेदारी घोषणा कर दी जावें।

वकील वादी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2059--2062 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। और जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हिस्से में सें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान भी किया हुआ है। खसरा नंबर 100 व 101 को छोड़कर बकाया खसरान में रैफरेंस की कार्यवाही विचाराधीन है। रैफरेंस प्रकरण में किसी तरह की छेड़छाड़ किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः वादी का वाद खसरा नंबर 100 व 101 की आराजी तक ही स्वीकार किया जाता है। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जाता है कि :–

" मौजा देवगड़ की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 100 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नंबर 101 रकबा 69 बीघा 04 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीनी संख्या 1 के 1/2 हिस्सा में सें 1/2 हिस्सा वादी के नाम की संयुक्त खातेदारी घोषणा की जाती है।" बकाया खसरान में रेफरेंस होने से इन्द्राज यथावत रहेगा।

तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हों। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः--उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

रियांबड़ी

राजस्व लोक अदालत

कैम्प–

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प टेहला में सुनाया गया ।

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

रियांबड़ी

राजस्व लोक अदालत

कैम्प–टेहला